

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / २२५५ / 2019 दिनांक ०८.11.2019

श्रीमती मनोषा सिंह (RJ0322), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.08.2019 से 13.09.2019 तक 14 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.09.2019 से 15.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, चित्तौड़गढ़/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 02, चित्तौड़गढ़/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

७८०
०८.11.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/27/2000/ १०५३५ दिनांक : ०८.11.2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 63 दिनांक 30.10.2019 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती मनोषा सिंह (RJ0322), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, चित्तौड़गढ़।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, चित्तौड़गढ़।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 02, चित्तौड़गढ़।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़।

१०५३५
०८.11.2019

सहायक रजिस्ट्रार